



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-31072025-265133
CG-KA-E-31072025-265133

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3442]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2025/श्रावण 8, 1947

No. 3442]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2025/SHRAVANA 8, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

हुबली, 28 जुलाई, 2025

का.आ. 3525(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का अधिनियम संख्या 24) की धारा 2 के खंड 37(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई तालिका में कर्नाटक राज्य में "विशेष रेलवे परियोजना" के रूप में उल्लिखित परियोजना, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	Village	Taluk	District
1.	बेंगलोर शहर के चिक्कावाणावर और गोलहल्ली के बीच सीमित ऊंचाई वाले सबवे के साथ किमी 16/100-200 पर समपार संख्या 10 के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण - संपिगे रोड सेक्शन।	सोलदेवनहल्ली	येलहन्क	बेंगलुरु
2.	बेंगलोर शहर के चिक्कावाणावर और गोलहल्ली के बीच किमी 17/439 पर सीमित ऊंचाई वाले सबवे के साथ समपार संख्या 11 के बदले रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण - संपिगे	टरबनहल्ली	येलहन्क	बेंगलुरु

	रोड सेक्शन।			
3.	मंड्या-येलियूर स्टेशनों के बीच किमी 96/600-700 पर समपार संख्या 76 के बदले में प्रस्तावित रोड ओवर ब्रिज	किरगन्दुरु	मंड्या	मंड्या
4.	ब्याडरहल्लि- पांडवपुरा के बीच किमी 116/500-600 पर समपार संख्या 94 के बदले में रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण	मुगुरु कोप्पल & नेलमनि	मंड्या	मंड्या
5.	अमृतपुरा - चित्रदुर्ग स्टेशनों के बीच किमी: 25/400-500 पर एलसी नंबर 15 के बदले में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण।	हलियुरु & मानगी	चित्रदुर्ग	चित्रदुर्ग

[फा.सं. एसडब्ल्यूआर/डब्ल्यू.352/आरओबीएस-आरएसपी/भूमि/2025-26]

निंगप्पा चंदप्पा चलुवादि, उप मुख्य अभियंता/सड़क ऊपरी पुल
सड़क सुरक्षा परियोजनाएं, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली।

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Western Railway)

NOTIFICATION

Hubballi, the 28th July, 2025

S.O. 3525(E).—In exercise of the powers conferred by clause 37(A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (Act no. 24 of 1989) the Ministry of Railways, (South Western Railway, Head Quarters, Hubballi) hereby notifies that the project, mentioned in the table below as "Special Railway Project" in the State of Karnataka for providing National Infrastructure for a Public Purpose with effect from date of publication of the notification in the Official Gazette.

S.No.	Name of the Project	Village	Taluk	District
1	Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of LC No.10 at km 16/100-200 with Limited Height Subway between Chikkabanavar and Golhalli of Bangalore city – Sampige Road Section.	Soladevanahalli	Yelahanka	Bangalore
2	Construction of Road Over Bridge (ROB) in lieu of LC No.11 at km 17/439 with Limited Height Subway between Chikkabanavar and Golhalli of Bangalore city – Sampige Road Section.	Tarabanahalli	Yelahanka	Bangalore
3	Proposed Road Over Bridge in lieu of LC No.76 at Km.96/600-700 between Mandya- Yeliyur stations	Kiraganduru	Mandya	Mandya
4	Construction of Road over bridge (ROB) in lieu of LC No.94 at Km,116/500-600 between Byadrahali Pandavapura	Muguru Koppal & Nelamane	Mandya	Mandya
5	Construction of Road Over Bridge along with subway in lieu of LC No. 15 at km: 25/400-500 between Amritapura - Chitradurga stations.	Haliyuru & Manangi	Chitradurga	Chitradurga

[F.No. SWR/W.352/ROBs-RSP/Land/2025-26]

NINGAPPA CHANDAPPA CHALUWADI, Dy. Chief Engineer/ Road Over Bridges
Road Safety Projects, South Western Railway, Hubballi.